

12
17 च

कोई उपस्थित नहीं। सायलान व उनके
वकील को कई बार अज्ञान लगावाइ गई
कोई हाजिर जबाब नहीं किया।
द्वारना फर 212 रूम अदम्य हाफिरी व
कैरवी के श्वारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसलशुमा होकर सलान मूल वाइ रहे

उपखांडाधिकारी
धौलपुर (राज.)